

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 जनवरी 2019—पौष 15, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2019

क्र. बी-8-8-2018-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट II दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम रबी वर्ष 2018-19 के लिये संलग्न सूची अनुसार जिला इंदौर में गेहूं सिंचित एवं चना फसल के लिये अल्पकालीन फसल ऋणमान के बराबर प्रति हेक्टेयर बीमित राशि घोषित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.

स्केल आफ फायनेंस ( ऋणमान ) रबी 2018-19

( राशि रु. में )

क्र.	जिला	गेहूं सिंचित	गेहूं अधिसिंचित	चना	राई सरसों	अलसी	मसूर	बैठक दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	इंदौर	35000		35000				24-3-2018